कुमाँऊ मण्डल विकास निगम, नैनीताल द्वारा उपखनिज क्षेत्र मौर्सा, त0 व जिला–नैनीताल में उपखनिज के चुगान हेतु ग्राम–मौर्सा, त0 व जिला–नैनीताल में दिनांक 04.01.2015 को आयोजित जन सुनवाई का कार्यवृत्त।

कुमाँऊ मण्डल विकास निगम, नैनीताल द्वारा उपखनिज क्षेत्र मौर्सा, त0 व जिला–नैनीताल में उपखनिज के चुगान हेतु हेतु एक प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुसार आईटम 1 (ए) के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान का क्षेत्र 8.0 हेक्टअर क्षेत्र में है। अतः इस हेतु राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक, 01.12.14 में दैनिक सामाचार पत्र अमर उजाला व इण्डियन एक्सप्रेस में एक एक सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी, जिसमे 30 दिनों के भीतर जन सामान्य से टीका टिप्पणी, सुझाव प्राप्त किये जाने होते हैं। लोक सुनवाई व पैनल का गठन ई.आई.ए नोटीफिकेशन 14.09.06 के अनुरूप किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में श्री उदय सिंह राणा, अपर जिलाधिकारी, नैनीता तथा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डॉ0 डी.के.जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। लोक सुनवाई की कार्यवाही का प्रारम्भ अपर जिलाधिकारी की अनुमति से राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा की गयी। लोक सुनवाई के प्रारम्भ में डॉ0 डी.के.जोशी द्वारा प्रस्तुत परियोजना के प्रस्ताव पर प्रकाश डाला गया तथा लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन से प्रस्ताव पर मौखिक व लिखित सुझाव आपत्तियॉ मांगे गये। तत्पश्चात, निगम के तकनीकि सलाहाकार मैनटैक कन्सलटैन्ट संस्था के प्रतिनिधि डॉ0 विवेक नारायण सिंह द्वारा परियोजना पर विस्तृत तकनीकि, आर्थिक, सामाजिक पर्यावरणीय पहलुओं पर प्रकाश डाला गया।

सुनवाई के दौरान उपस्थिति जनों की उपस्थिति का विवरण उपस्थित पंजिका में दर्ज किया गया तथा लोक सनुवाई के दौरान निम्नानुसार सुझाव/टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त हुए, जो निम्नानुसार हैं–

1. **श्री तारा दत्त [illegible], पूर्व ग्राम प्रधान, भौर्सा,** द्वारा खनन कार्य किसके द्वारा किया जायेगा यह पूछा गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि यह कार्य कुमॉऊ मण्डल विकास निगम द्वारा किया जायेगा या किसी संस्था के द्वारा किया जायेगा। उनके द्वारा यह कहा गया कि कुमॉऊ मण्डल विकास निगम खनन कार्य स्वयं करें। खनन कार्य ठेकदारों के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि नदी में जो श्रमिक कार्य करतें हैं उनके द्वारा नदी का गन्दा किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण काफी गन्दा हो रहा है। उन्होंने नदी में कार्य कर रहें श्रमिको के लिए अलग से शोचालयों की व्यवस्था कराई जाने की बात कही व उनके द्वारा ईधन की व्यवस्था भी किये जाने की बात कही। इस पर कुँमॉऊ मण्डल विकास के प्रतिनिधि द्वारा अगवत कराया गया कि उक्त चुगान का कार्य अपने स्तर से निविदा के माध्यम से किये जाने का आवश्वासन दिया। तत्पश्चात निगम क तकनीकि सलाहाकार मैनटैक कन्सलटैन्ट के संस्था के प्रतिनिधि डॉ0 विवेक नारायण सिंह द्वारा बताया गया कि 10 किली./दिन जल छिडकाव किया जायेगा। उनके द्वारा बताया गया कि श्रमिकों द्वारा स्थापित शौचालयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। श्रमिको को शौचालयों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यक्ता है।
2. **श्री प्रशान्त चौधरी, पट्टाधारक, हल्द्वानी** द्वारा खनन कार्य कुमॉऊ मण्डल विकास निगम द्वारा न होने की बात कही। उनके द्वारा बताया गया कि कुमॉऊ मण्डल विकास निगम की दरें काफी ज्यादा है। उक्त दरें काफी ज्यादा होने के कारण पट्टाधारक उसे नहीं ले पाते हैं। उनके द्वारा अन्त में कुमॉऊ मण्डल विकास निगम द्वारा खनन कार्य किये जाने का विरोध किया गया।
3. **श्री धर्मेन्द्र शर्मा, भौर्सा** द्वारा मौखिक व लिखित रूप से कहा गया कि चुगान का कार्य निजी निविदादाताओं से न किये जाने की बात कही। उनके द्वारा स्थानीय सामाजिक संगठनों/सहकारी समितियों को उक्त कार्य देने हेतु प्राथिमिकता देने की बात कही व सरकार को प्राप्त होने वाली कुल आय का 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में स्थानीय ग्राम पंचायतों को दिये जाने का सुझाव दिया गया। खनन कार्य हेतु वाहनों, मजदूरों का पंजीकरण तथा सडक व्यवस्था दुरूस्त की जाने की मांग की गयी। (पत्र सलग्न)।

4. **श्री खीमा नन्द पाण्डे, ग्राम–अमिआ,** द्वारा कहा गया कि **कुमॉऊ मण्डल विकास** निगम वर्तमान तक पर्व किये गये खनन कार्य का पैसा नहीं दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान जमीन ? आवासीय भवन रहने योग्य नही व क्षेत्र में काफी लोग बेरोजगार है। इस पर कुँमॉऊ मण्डल विकास के प्रतिनिधि द्वारा अगवत कराया गया कि खनन कार्य शासन की नीति के अनुसार ही किया जायेगा व इस प्रकार की कोई व्यवस्था नही है।

लोकसुनवाई के अन्त में अपर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा बताया गया कि खनन कार्य हेतु नीति/नियम बनाये गये है। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया जायेगा। उन्होने निगम को निर्देश दिये गये कि वे नियमों को ध्यान में रखते ही कार्य करें। अन्त में अपर जिलाधिकारी द्वारा जन सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया व उपस्थित जनसमूह को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(डॉ0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
यू.ई.पी.पी.सी.बी., हल्द्वानी।

6.1.15
(उदय सिंह राणा)
अपर जिलाधिकारी, नैनीताल।
अपर जिलाधिकारी
नैनीताल

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक महोदय,
कुमाऊँ मण्डल विकास निगम नैनीताल

विषय : खनन के सम्बन्ध में सुझाव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर निवेदन करना है कि ग्राम भौर्सा के अन्तर्गत गौला नदी में प्रस्तावित खनन के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है :

1- खनन का कार्य निजी निविदादाताओं से न करवाया जाय बल्कि सामाजिक संस्थाओं / सहकारी समितियों के माध्यम से करवाया जाय अथवा कु० म० वि० निगम स्वयं संचालित करे।

2- स्थानीय सामाजिक संगठनों / सहकारी समितियों को उक्त कार्य हेतु प्राथमिकता दी जाय।

3- सरकार को प्राप्त होने वाली कुल आय का 20% क्षतिपूर्ति के रूप में स्थानीय ग्राम पंचायतों को दिया जाय।

4- खनन कार्य के साथ ही हल्द्वानी की जीवन दायिनी गौला नदी को साफ शुद्ध रखने की कार्य योजना तैयार की जाय ताकि गौला नदी में मानव मल इत्यादि न जाने पाये।

5- खनन कार्य हेतु वाहनों, मजदूरों का पंजीकरण किया जाय ताकि वातावरण शान्तिपूर्ण रहे व अप्रिय घटनाएं न घटने पायें।

6- सड़क का सुधारीकरण भी समय-समय पर अपेक्षित है।

(हस्ताक्षर)

(धर्म [illegible] शर्मा)
सामाजिक कार्यकर्ता
संचालक नैनीताल दुग्ध संघ
9411300575

कुमाऊं मण्डल विकास निगम, नैनीताल द्वारा उपखनिज लेत भौंसी, त० व जिला - नैनीताल में उपखनिज चुगान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के दौरान लोगों की उपस्थिति का विवरण -

क्रमांक	नाम व पता	फोन नं०	हस्ताक्षर
	श्री उदय सिंह राणा, ADM नैनीताल		[signature]
1.	डा० डी के जोशी RO. UEPPCB हल्द्वानी	9412990574	[signature]
2.	श्री सुमित कुमार आर्या AEE UEPPCB	9410310553	[signature]
3	श्री हरीश चन्द्र जोशी SA UEPPCB	9761201708	[signature]
4.	B.S. Lohni Tahsildar NTL	9412531780	[signature]
5.	हेम चन्द्र पलड़िया रा० उपा...	9411196500	[signature]
6.	नरेन्द्र सिंह बिष्ट प्र०अ० कु० मं० वि० नि० KMVN	8650002589	[signature]
7	रणवीर सिंह महरा ग्राम- [illegible]	—	[signature]
8.	किशोर बलवाल ग्राम रौंखिल	9690078811	[signature]
9.	ओमप्रकाश पाण्डेय ग्राम रौंखिल	7030040310	ओमप्र...
10.	हरीदत्त पलड़िया ग्राम भौंसी	9458160527	[signature]
11.		9927074429	[signature]
12.	प्रशान्त चौधरी		
13.	दयानिधि		
14.	नवीन चन्द्र पलड़िया		नवीन

14.	हरीश चन्द्र [illegible]	हरीश चन्द
15.	इन्द्रसिंह चौनीला 8006072917	[illegible]
16.	गोपालसिंह रावत नरेन्द्रसिंह रावत	G.Rawat [illegible]
17.	दीपचन्द्र	दीपचन्द्र
18.	[illegible]	[illegible]
19.	बन्टी	बन्टी
20.	नित्यानन्द नारादत्त	नित्यानन्द
21.	~~प्र~~ प्रदीप ~~चन्द्र~~ पलड़िया	नारी दत्त [illegible]
22.	[illegible]	[illegible]
23.	[illegible]	[illegible]
24.	दीपक पाण्डे	दीपक पाण्डे
25.	देवेन्द्र सिंह	[illegible]
26.	[illegible] नारायण दत्त	नारायण दत्त
27.	Pankaj Singh	Pankaj

Date ____
Page ____

क्रम	नाम व पता	फोन नं०	हस्ताक्षर
28	श्री अनोखे लाल	—	
29	कैलाश पाण्डे	—	कैलाश पाण्डे
30	भैरव दत्त		भैरव दत्त
31	नारायणदत्त S/o श्री लीलानन्द ओझा	9837392138	ना...
32	धर्मेन्द्र शर्मा	9411300575	[illegible]
	"	9411071199	[illegible]
33	भुवन चन्द्र पलड़िया		
34	धीरज पलड़िया	7409144326	Dheeraj Palar...
	रमेश पलड़िया	9675847220	[illegible]
35	महेन्द्र सिंह भण्डारी	9627494603	[illegible]
36	प्रकाश पाठक	9917942678	[illegible]
37	प्रदीप पाण्डे	9719536033	[illegible]
38	उमाचन्द्र पाण्डे	—	उमा
39	[illegible]	9675944504	[illegible]
40	लीलानन्द	7359535268	
41	Ramesh	—	[illegible]
42	Mr. Vivek N. Singh Mantec Consultants (P) Ltd Noida	8882473339	[illegible]